न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 162/2012

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. मीठालाल पुत्र धन्नाराम
जाति-मेघवाल, निवासी-आगेवा,
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. नरसिंहदास पुत्र लिखमाराम
जाति-ब्राह्मण,निवासी-आगेवा
2. ढगलाराम पुत्र धन्नाराम
जाति-सीरवी,निवासी-आगेवा,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.29.08.2012

उपस्थितः- 1. श्री रूस्तम खान भाटी एवं श्री चुतराराम भाटी अधिवक्तागण, वादी।
2. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं.-1।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 18/05/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आगेवा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की पैतृक व पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 633 रकबा 2-02 बीघा किस्म बा0अ0 की आई हुई हैं, जिसका वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार हैं। वादी के पिता प्रपिता के समय से कब्जा चला आ रहा हैं। जिस पर पहले वादी के पिता और अब वादी बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करता आ रहा हैं तथा काश्त संबंधी कार्यो से उपयोग व उपभोग करता रहा हैं। वादी के हिस्से की जमीन के चारों ओर मिट्‌टी की खन्दक लगा रखी हैं। वादी अपने हिस्से की जमीन पर काबिज हैं। वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित कृषि भूमि के दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रतिवादी संख्या 1 व दक्षिण पूर्वी की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 02 की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई हैं, जो वादी को उसके हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि में काश्त करने हेतु दखलन्दाजी करते हैं तथा हर वर्ष वादी को फसल बोने के समय लड़ाई झगड़ा करते हैं तथा वादी को उसके कब्जे काश्त की जमीन पर कब्जा करने की धमकी देते हैं। वादी इस वर्ष फसल के लिये अपने खेत को तैयार करने तथा खेत के चारों तरफ पाला लगाने के लिये दिनांक 21/07/2012 को खेत पर गया तो प्रतिवादीगण उसे अपने खेत में खड़ाई करने से मना कर दिया तथा खेत के चारों ओर लगे पाले को बिखेर दिया और वादी को उसके खातेदारी कब्जा सुदा भूमि पर बेदखल करने की धमकी दी हैं तथा ये भी धमकी दी हैं कि इस पर कब्जा कर लेगें तथा काश्त नहीं करने देगें। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा सुदा कृषि भूमि पर वादी को काश्त करने काश्त से सम्बन्धित कार्य करने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रतिवादीगण बिना किसी कारण के वादी के खातेदारी व कब्जा सुदा जमीन पर कई दखलन्दाजी करते हैं या काश्त करने में बाधा डालते हैं, तो वादी व प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बीच में विभिन्न प्रकार की मुकदमें बाजी होगी व जान माल की भी हानि होगी। प्रतिवादीगण जबरन वादी के हक व हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। वादी को अपने हक व हिस्से की जमीन से वंचित होना पड़ेगा। वादी को साम्पैतिक हक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ेगा। वादी अपने दादा व पिता के समय से उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काश्त करता आ रहा हैं। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण ताकत के बल पर उसे काश्त करने से वंचित करना चाहते हैं। वादी का कब्जे काश्त व तथ्यों परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधार पर बहुत मजबूत प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित हैं। फिर भी वादी को काश्त करने काश्त से संबंधित कार्य करने से प्रतिवादीगण द्वारा रोका जाता हैं तथा वादी के हक हिस्से व कब्जे की जमीन पर से बेदखल कर कब्जा किया जाता हैं, तो वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी। इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र प्रस्तुत करने व काश्त में होने वाली दखलन्दाजी को रूकवाने का अधिकारी हैं। बिनायवाद दिनांक 21/07/2012 को वादी को उसके कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने में दखलन्दाजी करने व कब्जा करने की एलानिया धमकी प्रतिवादीगण द्वारा देने पर मौजा-आगेवा में उत्पन्न होता हैं, जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार माफिक दावा वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 19/11/2012 को की गई। प्रति0 संख्या 1 की ओर से दिनांक 05/08/2014 को श्री साकिर हुसैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। दिनांक 29/09/2014 से लगातार प्रति0 संख्या 1 की आरे से प्रार्थना पत्र 09 नियम 07 सीपीसी का पेश करने हेतु समय दिया जाता रहा हैं, किन्तु अनेकानेक अवसर के बावजूद प्रार्थना पत्र पेश करने में विफल रहने से दिनांक 18/05/2015 को अवसर समाप्त किया जाता हैं। दिनांक 18/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र आगेवा शिविर पर पत्रावली पेश हुई। राजस्व रेकर्ड की जांच होकर वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 में वादी गैरखातेदार दर्ज होने से सम्बद्ध रिपोर्ट प्राप्त की गई, सा0मि0 हैं। दिनांक 18/05/2015 को केम्प आगेवा में ग्राम-आगेवा के खसरा नम्बर 633 रकबा 2-02 बीघा किस्म बा0अ0 सम्वत् 2061 से 2064 की जमाबन्दी में धना पुत्र मुकना कौम-भाम्बी सा0 देह गैरखातेदार के नाम से दर्ज हैं। उक्त खसरा की पूर्व की जमाबन्दियों का भी अवलोकन किया गया, तो भी उसमें गैरखातेदार के रूप में ही इन्द्राज होना पाया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2041 से 2044 में जरिये नामान्तरकरण संख्या 533 के द्वारा खसरा नम्बर 633 रकबा 2-02 बीघा किस्म गै0मु0धड़ा की भूमि धनाराम पुत्र मुकनाराम कौम-भांबी को आवंटन होने से रेकर्ड में गैरखातेदार के रूप में दिया गया। तहसीलदार, जैतारण की रिपोर्ट जांच दिनांक 18/05/2015 सामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2065–68 एवं राजस्व रेकर्ड जांच रिपोर्ट तहसीलदार जैतारण दिनांक 18/05/2015 से वादी का गैरखातेदार दर्ज होना बखूबी प्रमाणित हैं। वादी ने स्वयं को वाद पत्र को खातेदार काश्तकार होना अंकित किया हैं। जबकि वादी गैरखातेदार ही दर्ज हैं। वस्तुतः खातेदार काश्तकार नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा वादी का वाद काबिल खारिज होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

–::आदेश::–

अतः प्रस्तुत वाद में वादी स्वयं खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज नहीं होने से स्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः वादी का उक्त प्रस्तुत वाद वास्तविक तथ्यों से परे सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाई जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 18.05.2015 को राजस्व लोक अदालत शिविर अटल सेवा केन्द्र – आगेवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)